

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 38/14

संस्थापन दिनांक:-25/01/14

फाईलिंग नं. 233504001322014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. अविनाश उर्फ पिंटू पिता हरि संतोष, उम्र 25 वर्ष
2. हरि संतोष पिता छुट्टन मेहरा, उम्र 52 वर्ष
3. साहोबाई पति हरि संतोष, उम्र 45 वर्ष
 सभी निवासी देवगांव, थाना आमला
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 14.05.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498(ए) भा0दं0सं0 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.02.2012 के बाद से लगातार दिनांक 15.01.2014 तक देवगांव थाना आमला जिला बैतूल स्थित अपने निवास स्थान पर फरियादी निर्मला उर्फ ज्योति चंदेलकर के पति एवं पति के रिश्तेदार होते हुए उसके साथ क्रूरता की तथा फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह दिनांक 03.02.2012 को अभियुक्त अविनाश से जाति रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के पश्चात से ही अभियुक्तगण उसे मायके से पचास हजार रुपये लेकर आने की मांग करते थे तथा मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण उसे मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसके माता पिता ने अभियुक्तगण को समझाया परंतु अभियुक्तगण नहीं माने। फरियादी द्वारा दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 41/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से विवाह पत्रिका एवं दहेज सूची जप्त कर जप्ती

पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी एवं अभियुक्तगण की ओर से राजीनामा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है परंतु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 498(ए) भा०दं०सं० एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा अभिलेख पर अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य उपलब्ध न होने से अभियुक्तगण का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.02.2012 के बाद से लगातार दिनांक 15.01.2014 तक देवगांव थाना आमला जिला बैतूल स्थित अपने निवास स्थान पर फरियादी निर्मला उर्फ ज्योति चंदेलकर के पति एवं सास-ससुर होते हुए उसके साथ क्रूरता की तथा फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 निर्मला उर्फ ज्योति (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त अविनाश उसका पति, अभियुक्त हरि उर्फ संतोष उसके ससुर तथा साहोबाई उसकी सास है। उसकी शादी दिनांक 03.02.2012 में अभियुक्त अविनाश से जाति रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद उसका अभियुक्तगण से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था जिससे गुस्से में आकर उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध (प्रदर्श पी-1) की रिपोर्ट लिखवायी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने उससे शादी की पत्रिका, दहेज सूची जप्त कर (प्रदर्श पी-2) का जप्ती पत्रक तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने विवाह के पश्चात उसे कभी भी पचास हजार रुपये की मांग नहीं की एवं रुपयों की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से कभी प्रताड़ित नहीं किया और न ही उसके साथ मारपीट की थी।

7 साक्षी निर्मला उर्फ ज्योति (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण विवाह के बाद उससे पचास हजार रुपये की मांग करते थे तथा मारपीट करते थे तथा उसे हमेशा दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया है कि घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट उसने की थी।

8 इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि उसका अभियुक्तगण से घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हो गया था जिसकी शिकायत उसने थाना आमला में की थी। साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्तगण उससे पचास हजार रुपये की मांग करते थे तथा उक्त मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करते थे। साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा उससे पचास रुपये की मांग किये जाने एवं उक्त मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ कूरता की तथा फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। निष्कर्षतः अभियुक्तगण अविनाश उर्फ पिंटू हरि संतोष एवं साहोबाई को धारा 498-ए भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

10 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

